बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

–:आवश्यक सूचना:–

बिहार कला पुरस्कार (2018–19) के लिए नामांकन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार कला पुरस्कार/सम्मान (2018–19) योजना के अन्तर्गत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के लिए चाक्षुष कला/प्रदर्श कला से जुड़े संस्थाओं, कला समीक्षकों, कला इतिहासकारों, रसीकजनों और विद्वानों से पुरस्कार सम्मान हेतु उत्कृष्ट कलाकार/कला मर्मज्ञों के नाम की अनुशंसा/नामांकन/दावा अपेक्षित है।

2. अनुशंसा/नामांकन के साथ संबंधित कलाकार की सहमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. अनुशंसा/नामांकन/दावा किसी एक पुरस्कार हेतु ही किया जा सकता है।

अनुशंसा/नामांकन निम्नांकित पुरस्कार के लिए किये जाने हैं:–

क) चाक्षुष कला क्षेत्र में कलाकारों का

1. राधा मोहन पुरस्कार (समकालीन कला/आर्ट फोटोग्राफी कला)
2. कुमुद शर्मा पुरस्कार–समकालीन कला के क्षेत्र में (महिला कलाकार)
3. सीता देवी पुरस्कार (लोक कला)
4. दिनकर पुरस्कार (चाक्षुष कला लेखन)

ख) प्रदर्श कला क्षेत्र के कलाकारों का

1. पं0 रामचतुर मल्लिक पुरस्कार (शास्त्रीय गायन)
2. भिखारी ठाकुर पुरस्कार (रंगमंच)
3. विन्ध्यवासिनी देवी पुरस्कार (लोक गायन)
4. रामेश्वर सिंह काश्यप पुरस्कार (प्रदर्श कला लेखन)
5. विस्मिल्लाह खाँ पुरस्कार (वाद्य वादन)
6. अम्बपाली पुरस्कार (शास्त्रीय नृत्य/लोकनृत्य)

ग) प्रदर्श कला के लिए (राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान

घ) चाक्षुष कला के लिए (राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान

ड़) राज्य के दो वरिष्ठ कलाकार (चाक्षुष एवं प्रदर्श कला) को लाइफ टाईम एचीवमेंट पुरस्कार

4. उपर्युक्त कंडिका 'क' एवं 'ख' में अंकित प्रत्येक पुरस्कार राज्य के चाक्षुष एवं प्रदर्श कलाओं में सृजनरत एक स्थापित कलाकार एवं एक नवोदित कलाकार को प्रदान किये जायेंगे। नवोदित कलाकार हेतु कलाकार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु का निर्धारण 1 जुलाई, 2018 के आलोक में किया जायेगा। इसके लिए अभिप्रमाणित जन्म तिथि प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5. स्थापित वरिष्ठ कला पुरस्कार हेतु 40 वर्ष से उपर की आयु सीमा होगी परन्तु Extra Ordinary Achievement की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा को क्षांत किया जा सकता है।

6. कंडिका 'ग' एवं 'घ' के लिए राष्ट्रीय स्तर के राज्य एवं राज्य के बाहर के नामचीन कलाकार तथा 'ड़' के लिए बिहार राज्य के कलाकार, जिन्होंने जीवन का अधिकांश भाग/न्यूनतम 25 वर्षों से अनवरत चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करते हुए राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक सदभावना बनाने एवं सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है का नामांकन/अनुशंसा किया जा सकता है।

7. नामांकन/अनुशंसा के साथ प्रस्तावक को अपना परिचय, नाम, पता एवं दूरभाष सं0 स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए अनुशंसित कलाकार का नाम (**बैंक खाता के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, बैंक का नाम, शाखा, खाता सं0 तथा IFSC CODE के साथ**), पूरा पता, बायोडाटा, साक्ष्य आदि के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

8. अनुशंसा पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि उक्त कलाकार की अनुशंसा किस वर्ग, सम्मान/पुरस्कार के लिए है।

9. कलाकार के नाम एवं बैंक खाता में अंकित नाम में अंतर नहीं होना चाहिए, ताकि पुरस्कार हेतु चयन उपरांत पुरस्कार राशि से संबंधित चेक/ड्राफ्ट में निर्गत करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

10. पुरस्कार हेतु चयन समिति के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

11.पुरस्कार/सम्मान के लिए नामांकन/अनुशंसा/दावा **दिनांक–31 जुलाई, 2018** तक निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना कमरा सं0–330, तृतीय मंजिल, विकास भवन, बेली रोड, पटना के पते पर हाथों–हाथ या डाक से उपलब्ध कराया जा सकता है।

30/7/18

(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार, पटना।